माननीय न्यायमूर्ति आलोक सिंह के समक्ष

कांस्टेबल हरजिंदर सिंह - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य–*उत्तरदाता*

1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3127

23 सितंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- 77 दिनों तक ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए एक कांस्टेबल की सेवाओं की बर्खास्तगी- आदतन अनुपस्थित- याचिकाकर्ता ने पहले भी मामूली सजा दी थी- किसी भी सहानुभूति के हकदार नहीं - याचिका खारिज।

यह अभिनिर्णित किया गया है कि 77 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति से पहले, आक्षेपित बर्खास्तगी आदेश का आधार, याचिकाकर्ता भी 4 सितंबर, 1991 से 1 दिसंबर, 1991 तक 86 दिनों के लिए अनुपस्थित रहा और 21 मार्च, 1990, 6 जनवरी, 1992, 8 मई, 1993 से 17 मई, 1993 और 13 नवंबर, 1993 से 15 नवंबर को कर्तव्यों से अनुपस्थित पाया गया। 1993 और उन सभी अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए, याचिकाकर्ता को मामूली दंड दिया गया था। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता अनुशासित कांस्टेबल नहीं है। उसे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की आदत है।

(पैरा 3)

आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता एक आदतन अनुपस्थित है और उसकी पूर्व अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए, उसे मामूली दंड दिया गया था और फिर से याचिकाकर्ता ने अपने तरीकों में सुधार नहीं किया और फिर से 77 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा, *इसलिए,* मुझे आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है। पुलिस बल एक अनुशासित बल है और अनधिकृत अनुपस्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए।

(पैरा 4)

रवि मल्होत्रा, अधिवक्ता, आरएस मल्होत्रा के लिए, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

उत्तरदाताओं के लिए गौरव धीर, डीएजी, हरियाणा।

निर्णय

आलोक सिंह, जे. -

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, कैथल द्वारा पारित दिनांक 27.09.1994 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश को चुनौती देने के लिए उत्प्रेषण की मांग की गई थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील और संशोधन पर उच्च अधिकारियों द्वारा पारित दिनांक 09.11.1994 (अनुलग्नक पी/3) और 30.01.1996 (अनुलग्नक पी/5) आदेश दिए गए थे।

2. वर्तमान मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को हरियाणा पुलिस में 17.04.1989 को कांस्टेबल के रूप में नामांकित किया गया था; याचिकाकर्ता वर्ष 2003 के दौरान 77 दिनों, 15 घंटे और 5 मिनट के लिए अपने कर्तव्यों से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा; जांच अधिकारी को 24.11.1993 को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने याचिकाकर्ता को आरोपों के सारांश, अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची और 20.12.1993 को दस्तावेजों की सूची द्वारा समर्थित किया; याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया; जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को आरोपों का दोषी ठहराते हुए वापस सुना; याचिकाकर्ता को 11.04.1994 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 30.04.1994 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दायर किया गया था; इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री मोहिंदर लाल के स्थानांतरण पर, याचिकाकर्ता को 10.06.1994 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद, प्रतिवादी नंबर 4 ने 27.09.1994 को आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को 77 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपील के माध्यम से डीआईजी, अंबाला रेंज से संपर्क किया, जिसे दिनांक 12.10.1994 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे भी दिनांक 30.01.1996 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. निर्विवाद रूप से, 77 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति से पहले, आक्षेपित बर्खास्तगी आदेश का आधार, याचिकाकर्ता भी 04.09.1991 से 01.12.1991 तक 86 दिनों के लिए अनुपस्थित

रहा और 21.03.1990, 06.01.1992, 08.05.1993 से 17.05.1993 और 13.11.1993 से 15.11.1993 तक कर्तव्यों से अनुपस्थित पाया गया और उन सभी अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए, याचिकाकर्ता को मामूली दंड दिया गया। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता अनुशासित कांस्टेबल नहीं है। उसे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की आदत है।

4. इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता एक आदतन अनुपस्थित है और उसकी पूर्व अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए, उसे मामूली दंड दिया गया था और फिर से याचिकाकर्ता ने अपने तरीकों में सुधार नहीं किया और फिर से 77 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा, इसलिए, मुझे आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है। पुलिस बल एक अनुशासित बल है और अनधिकृत अनुपस्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए।

5. याचिका मेरिट से रहित है, इसलिए, खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा